रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07102026-276893
CG-DL-E-07102026-276893

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5206] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 1, 2026/आश्विन 9, 1948
No. 5206] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 1, 2026/ASVINA 9, 1948

विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2026

का.आ. 5415(अ).— जबकि मेसर्स सोलार एक्सएल बीटा एनर्जी प्रा. लि., जिसका पंजीकृत कार्यालय 1A, वंदना बिल्डिंग, 11, टॉलस्टॉय मार्ग, सेंट्रल दिल्ली, नई दिल्ली-110001 में स्थित है, ने ट्रांसमिशन योजना "**कर्नाटक के गडग में** मेसर्स सोलारएक्सएल बीटा एनर्जी प्रा. लि.**की 207 मेगावाट हाइब्रिड (सौर: 138 मेगावाट, पवन: 69 मेगावाट) विद्युत परियोजना को कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु पारेषण प्रणाली**" के तहत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. 25-17/117/2025- पावर ग्रिड (एमओपी) दिनांक 12.01.2026 के द्वारा ट्रांसमिशन योजना "**कर्नाटक के गडग में मेसर्स** सोलारएक्सएल बीटा एनर्जी प्रा. लि.**की 207 मेगावाट हाइब्रिड (सौर: 138 मेगावाट, पवन: 69 मेगावाट) विद्युत परियोजना को कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु पारेषण प्रणाली**" के अंतर्गत आने वाली ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइनों के लिए विद्युत अधिनियम की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मेसर्स सोलारएक्सएल बीटा एनर्जी प्रा. लि., ने स्थानीय समाचार पत्रों राजस्थान पत्रिका (हिंदी) दिनांक 13.03.2026, डेक्कन हेराल्ड (अंग्रेजी) दिनांक 13.03.2026, प्रजावाणी (कन्नड़) 13.03.2026 और भारत के साप्ताहिक राजपत्र दिनांक 04.04.2026 में ट्रांसमिशन योजना के लिए प्रस्तावित ट्रांसमिशन मार्ग पर प्रकाशन की तारीख से 2 महीने के भीतर आम जनता की टिप्पणियाँ / अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था। इसके पश्चात, मेसर्स सोलारएक्सएल बीटा एनर्जी प्रा. लि., ने 19.08.2026 दिनांकित एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें घोषणा की

गई है कि भारत सरकार के आधिकारिक राजपत्र एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन की तारीख से 2 महीने के भीतर कोई टिप्पणी /अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत "**कर्नाटक के गडग में** मेसर्स सोलार एक्सएल बीटा एनर्जी प्रा. लि.**की 207 मेगावाट हाइब्रिड (सौर: 138 मेगावाट, पवन: 69 मेगावाट) विद्युत परियोजना को कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु पारेषण प्रणाली**" के तहत ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किए गए टेलीग्राफ लाइन एवं खम्भे या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किए जाने के लिए, टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं। योजना के अंतर्गत निम्नलिखित ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइनें हैं:

1. मैसर्स सोलारएक्सएल बीटा एनर्जी प्रा. लि. के जनरेशन पूलिंग स्टेशन (जनरेशन स्विचयार्ड, ग्राम डंबल, मुंडरगी तालुक, जिला गडग, कर्नाटक) से गडग-II पीएस (ISTS SIS) तक 220 केवी सिंगल-सर्किट लाइन, डीआईसी टावरों पर [लाइन की लंबाई लगभग 14 किमी है, जिसमें से गडग-II पीएस छोर से लगभग 2 किमी भाग मल्टी-सर्किट टावरों पर कार्यान्वित किया जाएगा]।

उपरोक्त योजना के अंतर्गत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन कर्नाटक के निम्नांकित गांवों, कस्बों और शहरों से होकर, उन पर से, उनके आसपास से और बीच से होकर गुजरेगी।

गांव के नाम	तहसील	जिला	राज्य
हल्लीगुड़ी, सिरूर (शिरूरा), जंतली (जांतली), मेवुंडी, रामेनाहल्ली (रामनहल्लि), डंबल (डंबाला), वेंकटपुरा, अलूर (,पेटालुरा पेठालुर), नारायणपुर	मुंडरगी	गदग	कर्नाटक
नारायणपुर	शिरहट्टी	गदग	कर्नाटक

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत, मेसर्स सोलार एक्सएल बीटा एनर्जी प्रा. लि., को उपरोक्त ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन को बिछाने के लिए सभी शक्तियां निम्नलिखित शर्तों एवं निबंधनों के अधीन प्रदान करता है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किए गए टेलीग्राफ लाइन एवं खम्भे या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किए जाने के लिए, टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं:

i. यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।

ii. आवेदक को प्रस्तावित लाइन के स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकरणों अर्थात स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों आदि से सहमतियां प्राप्त करनी होंगी।

iii. आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत सक्षम आयोग के द्वारा तैयार किए गए ट्रांसमिशन ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि से संबंधित विधियों/दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।

iv. भारत सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइन का संचालन करेगा।

v. यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्यधीन है।

vi. मेसर्स सोलारएक्सएल बीटा एनर्जी प्रा. लि., को विद्युत निरीक्षण के समय विनियमन एवं सुरक्षा प्रक्रियाओं इत्यादि से संबंधित अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

[फा.सं. 25-16/84/2026-पावर ग्रिड(एमओपी)]

एम.वी.एन. वरा प्रसाद, अवर सचिव

MINISTRY OF POWER

ORDER

New Delhi , the 29th September, 2026

S.O. 5415(E).— Whereas M/s Solar XL Beta Energy Pvt. Ltd., the applicant with its registered Office at 1A, Vandana Building, 11, Tolstoy Marg, Central Delhi, New Delhi-110001, has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of overhead transmission line under the transmission scheme "Transmission

system for providing connectivity to M/s Solar XL Beta Energy Pvt. Ltd. for its 207 MW Hybrid (Solar. 138 MW, Wind: 69 MW) Power Project in Gadag, Karnataka".

And whereas, Ministry of Power, Government of India vide its File No. 25-17/117/2025-PG dated 12.01.2026 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 for the overhead line covered under the transmission scheme "Transmission system for providing connectivity to M/s Solar XL Beta Energy Pvt. Ltd. for its 207 MW Hybrid (Solar. 138 MW, Wind: 69 MW) Power Project in Gadag, Karnataka".

M/s Solar XL Beta Energy Pvt. Ltd. had published notice for transmission scheme in local newspapers Rajasthan Patrika (Hindi) dated 13.03.2026, Deccan Herald (English) dated 13.03.2026, and Prajavani (Kannada) 13.03.2026 in Weekly Gazette of India dated 04.04.2026 for the general public to make observations/representations on the proposed transmission route within 2 Months from the date of publication. Subsequently, M/s Solar XL Beta Energy Pvt. Ltd. has submitted an affidavit dated 19.08.2026 declaring that zero (0) observation/representation was received within 2 Months from the date of publication of public notice.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of electric lines under the transmission scheme "Transmission system for providing connectivity to M/s Solar XL Beta Energy Pvt. Ltd. for its 207 MW Hybrid (Solar. 138 MW, Wind: 69 MW) Power Project in Gadag, Karnataka". The following overhead line is covered under this scheme:

1. Generation Pooling Station of M/s Solar XL Beta Energy Pvt. Ltd. (Generation Switchyard located at Dambal Village, Mundargi Taluk, Gadag District, Karnataka) — Gadag-ll PS (ISTS SIS) 220 kV SIC line on DIC towers [line length is about 14 km out of which about 2 km from Gadag-ll PS end shall be implemented on multi-circuit towers].

The transmission line covered under the above scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities Karnataka:

Name of the villages	**Tehsil**	**District**	**State**
Halligudi, Sirur (Shirura), Jantli, Mevundi, Ramenahalli, Dambal (Dambala), Venkatapura, Alur (Petalura, Pethalur), Narayanapura	Mundargi	Gadag	Karnataka
Narayanapura	Shirahatti	Gadag	Karnataka

Now, after careful consideration, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s Solar XL Beta Energy Pvt. Ltd. for laying above overhead line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above-mentioned line, namely:

i. The approval is granted for 25 years.

ii. The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e., local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed line.

iii. The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under Electricity Act, 2003.

iv. The Applicant shall operate the line after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.

v. The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.

vi. M/s SolarXL Beta Energy Pvt. Ltd. shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defence etc., at the time of Electrical Inspection.

[F. No. 25-16/84/2026-POWER GRID(MoP)]

M.V.N. VARA PRASAD, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA
Digitally signed by KUMER CHAND MEENA
Date: 2026.10.07 15:31:09 +05'30'